प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
16–ए0पी0 सेन रोड, मण्डी परिषद भवन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2. अध्यक्ष,पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड उ0प्र0, लखनऊ ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0, उ0प्र0, लखनऊ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
5. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
6. अधिशासी निदेशक, सिफसा, उ0प्र0, लखनऊ।
7. अधिशासी निदेशक, यू.पी.टी.एस.यू., उ0प्र0, लखनऊ।
8. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ ।
9. निदेशक, चिकित्सा उपचार, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
10. निदेशक, परिवार कल्याण, मात् एवं शिशु कल्याण, नर्सिंग, निदेशक–संक्रामक रोग एवं आई.ई.सी. ब्यूरो, उ0प्र0, लखनऊ।
11. संयुक्त निदेशक, अरबन हेल्थ, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
12. अपर निदेशक / संयुक्त निदेशक, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
13. वीरांगना अवंती बाई महिला चिकित्सालय, उ0प्र0, लखनऊ ।
14. डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय, उ0प्र0, लखनऊ से वरिष्ठ शल्य चिकित्सक, निश्चेतक, बाल रोग विशेषज्ञ एवं फिजीशियन ।
15. वरिष्ठ विधिक अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
16. अध्यक्ष / नामित सदस्य, फॉग्सी, आई.एम.ए. / आई.पी.ए. ।
17. अपर निदेशक / संयुक्त निदेशक, चिकित्सा उपचार स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
18. एक्रीडिटेड प्राइवेट नर्सिंग होम / स्वैच्छिक संस्था से एक प्रतिनिधि, उ0प्र0, लखनऊ।
19. राज्य प्रतिनिधि, यूनिसेफ, टी.एस.यू ,आई. हेड, पाथ, जपाईगो एवं डब्ल्यू.एच.ओ. उ0प्र0, लखनऊ।
20. असोसिएट डायरेक्ट –पब्लिक हेल्थ फाउण्डेशन ऑफ इण्डिया, लखनऊ ।
21. महाप्रबंधक–जल संस्थान उ0प्र0, लखनऊ ।

पत्र संख्या –एस0पी0एम0यू0 / एन0एच0एम0 / क्यू.ए / 2017–18 / 20/6883-21 दिनांक–20.12. 2022

विषयः– 'राज्य स्तरीय क्वालिटी एश्योरेंस समिति' की बैठक का कार्यवृत्त प्रेषण के संबंध में।

महोदय / महोदया,

आप अवगत है कि क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित गतिविधियों के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मेन्टॉरिंग हेतु राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अध्यक्षता में 'राज्य स्तरीय क्वालिटी एश्योरेंस समिति' का गठन किया गया है, जिसमें आप पदाधिकारी / सदस्य के रूप में नामित है।

अवगत कराना है कि उक्त समिति की बैठक दिनांक 7 दिसम्बर, 2022 को अपरान्ह 5:00 बजे से राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, 16–ए0पी0 सेन रोड, मण्डी परिषद भवन, लखनऊ स्थित सभाकक्ष में सम्पन्न हुई । बैठक का कार्यवृत्त आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र के साथ संलग्न हैः–

कृपया अपने से संबंधित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीया,

Aparna-U

(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक

पत्रांक : –एस0पी0एम0यू0 / एन0एच0एम0 / क्यू.ए / 2017–18 / 20 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
3. राज्य प्रतिनिधि, पाथ / जपाईगो, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(डा0 अर्चना वर्मा)
महाप्रबंधक–क्यू.ए.

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
16–ए0पी0 सेन रोड, मण्डी परिषद भवन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2. अध्यक्ष,पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड उ0प्र0, लखनऊ ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0, उ0प्र0, लखनऊ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
5. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
6. अधिशासी निदेशक, सिफसा, उ0प्र0, लखनऊ।
7. अधिशासी निदेशक, यू.पी.टी.एस.यू., उ0प्र0, लखनऊ।
8. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ ।
9. निदेशक, चिकित्सा उपचार, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
10. निदेशक, परिवार कल्याण, मात् एवं शिशु कल्याण, नर्सिंग, निदेशक–संक्रामक रोग एवं आई.ई.सी. ब्यूरो, उ0प्र0, लखनऊ।
11. संयुक्त निदेशक, अरबन हेल्थ, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
12. अपर निदेशक / संयुक्त निदेशक, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
13. वीरांगना अवंती बाई महिला चिकित्सालय, उ0प्र0, लखनऊ ।
14. डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय, उ0प्र0, लखनऊ से वरिष्ठ शल्य चिकित्सक, निश्चेतक, बाल रोग विशेषज्ञ एवं फिजीशियन ।
15. वरिष्ठ विधिक अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
16. अध्यक्ष/नामित सदस्य, फॉग्सी, आई.एम.ए./आई.पी.ए. ।
17. अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, चिकित्सा उपचार स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
18. एक्रीडिटेड प्राइवेट नर्सिंग होम/ स्वैच्छिक संस्था से एक प्रतिनिधि, उ0प्र0, लखनऊ।
19. राज्य प्रतिनिधि, यूनिसेफ, टी.एस.यू ,आई. हेड, पाथ, जपाईगो एवं डब्ल्यू.एच.ओ. उ0प्र0, लखनऊ।
20. असोसिएट डायरेक्ट –पब्लिक हेल्थ फाउण्डेशन ऑफ इण्डिया, लखनऊ ।
21. महाप्रबंधक–जल संस्थान उ0प्र0, लखनऊ ।

पत्र संख्या –एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/क्यू.ए/2017–18/ 20 दिनांक–20.12. 2022

विषयः– 'राज्य स्तरीय क्वालिटी एश्योरेंस समिति' की बैठक का कार्यवृत्त प्रेषण के संबंध में।

महोदय/ महोदया,

आप अवगत है कि क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित गतिविधियों के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मेन्टॉरिंग हेतु राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अध्यक्षता में 'राज्य स्तरीय क्वालिटी एश्योरेंस समिति' का गठन किया गया है, जिसमें आप पदाधिकारी/सदस्य के रूप में नामित है।

अवगत कराना है कि उक्त समिति की बैठक दिनांक 7 दिसम्बर, 2022 को अपरान्ह 5:00 बजे से राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, 16–ए0पी0 सेन रोड, मण्डी परिषद भवन, लखनऊ स्थित सभाकक्ष में सम्पन्न हुई । बैठक का कार्यवृत्त आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र के साथ संलग्न हैः–

कृपया अपने से संबंधित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीया,

(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक

पत्रांक : –एस0पी0एम0यू0 / एन0एच0एम0 / क्यू.ए / 2017–18 / 20/6883-21(3) तद्दिनांकः
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
3. राज्य प्रतिनिधि, पाथ / जपाईगो, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(डा0 अर्चना वर्मा)
महाप्रबंधक–क्यू.ए.

महाप्रबंधक–क्यू.ए./अपर मिशन निदेशक/मिशन निदेशक

अवगत कराना है कि क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम के अन्तर्गत गठित 'स्टेट क्वालिटी एश्योरेंस समिति' की बैठक दिनांक 07 दिसम्बर, 2022 को प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्न अधिकारियों एवं पदाधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। **(सूची संलग्न) बैठक में निम्न निर्णय लिये गयेः–**

1. स्टेट कायाकल्प अवार्ड समिति एवं स्टेट क्वालिटी एश्योरेंस समिति की बैठक एक साथ आयोजित की जाये।

(महाप्रबंधक–क्यू0ए0)

2. स्टेट असेसमेंट के उपरान्त संबंधित चिकित्सा इकाईयों को चेकलिस्ट एवं मुख्य गैप साझा किया जाये। चिकित्सा प्रभारियों/ चिकित्सा अधीक्षकों/ प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों द्वारा 'गैप क्लोजर ससमय एक्शन प्लान' तैयार कर गैप क्लोजर की कार्यवाही निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण की जाये। एक्शन प्लान न बनाने वाले चिकित्सा इकाईयों के प्रभारियों को चेतावनी पत्र प्रेषित किया जाये।

(महाप्रबंधक–क्यू0ए0)

3. चिकित्सालय प्रबंधकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाये/नवीन भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने तक वर्तमान में कार्यरत आयुष चिकित्सकों को चिकित्सालय प्रबंधक के रूप में उत्तरदायित्व दिया जाये। चिकित्सालय प्रबंधक के रूप में चिन्हित आयुष चिकित्सकों को कार्यदायित्व प्रदान करने से पूर्ण उनका प्रशिक्षण वर्चुअल प्लेटफार्म के माध्यम से किया जाये।

(महाप्रबंधक–क्यू0ए0)

4. चिकित्सालय प्रबंधकों के रिक्त पदों पर भर्ती से पूर्व उनकी शैक्षणिक अर्हता में भारत सरकार द्वारा निर्धारित अर्हता में यथोचित परिवर्तन कर चयन प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण की जाये।

(महाप्रबंधक–मानव संसाधन)

5. जो चिकित्सा इकाईयॉ कायाकल्प अवार्ड की अर्हता पूर्ण नहीं कर रहीं है उनकी सूची जनपदों को साझा किया जाये तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा संबंधित चिकित्सा इकाईयों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर सुधारात्मक कार्यवाही हेतु चिकित्सा इकाईवार कार्ययोजना तैयार करायी जाये तथा नियमित रूप से प्रगति समीक्षा की जाये।

(महाप्रबंधक–क्यू0ए0)

6. चिकित्सा इकाईयों के सम्पर्क मार्ग बनाने, अतिक्रमण एवं गड्ढ़ा मुक्त करने तथा अन्य आवश्यक मरम्मत हेतु पी0डब्लू0डी0 विभाग एवं नगर आयुक्त को पत्र प्रेषित किया जाये। उक्त सम्पर्क मार्ग की स्थिति एवं आवश्यकता के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा जिला प्रशासन से सम्पर्क कर सुधारात्मक कार्यवाही हेतु सकरात्मक प्रयास सुनिश्चित किये जाये।

(समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी/महाप्रबंधक–क्यू0ए0)

7. चिकित्सालय परिसर के आस–पास स्वच्छता एवं अवैध कब्जे हटाने, कूडादान रखवाने एवं कूड़ा निस्तारण हेतु जिला प्रशासन एवं नगर आयुक्त को पत्राचार किया जाये तथा कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।

(समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी/महाप्रबंधक–क्यू0ए0)

8. जिन जनपद स्तरीय चिकित्सालय मेडिकल कालेज के रूप में उच्चीकृत किया गया है, उन चिकित्सलयों में रोगी कल्याण समिति के खाते में उपलब्ध धनराशि का उपयोग करने के संबंध में नवीन दिशा– निर्देश प्रेषित किये जायें।

(महाप्रबंधक–कम्युनिटी प्रोसेस)

9. कायाकल्प–अवार्ड चेकलिस्ट के दृष्टिगत चिकित्सा इकाईयों में विद्युत बचत को बढ़ाना देने हेतु 'इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेस' 4 अथवा 5 स्टार रेटिंग के उपकरण क्रय किया जाये। इस संबंध में जनपदों को स्पष्ट क्रय प्रक्रिया पर मार्ग–दर्शन एवं दिशा–निर्देश प्रेषित किया जाये।

(महाप्रबंधक–प्राक्योरमेंट)

10. चिकित्सा इकाईयों में गैर परम्परागत ऊर्जा उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु स्टेट बजट अथवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल स्ट्रैन्थिनिंग (District Hospital Strengthening) मद से 'सोलर पैनल' लगाने हेतु प्रस्ताव तैयार किया जाये। आवश्यतानुसार 'सप्लीमेन्ट्री पी0आई0पी0' में भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया जाये।

उक्त संबंध में अन्य राज्यों में स्थापित व्यवस्था एवं वित्तीय संसाधनों के संबंध में अध्ययन कर कार्ययोजना एवं प्रस्ताव तैयार किया जाये।

(महाप्रबंधक–डी0एच0एस0 / महानिदेशक–चिकित्सा स्वास्थ्य)

11. हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर्स में 'सबमर्सिबल पम्प' एवं सोलर सिस्टम किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में **HSSS.1 Infrastructure Strengthening of the Sub Centre** मद में 3000 उपकेन्द्रो को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर्स के रूप सुदृढीकृत करने हेतु उपलब्ध बजट को भारत सरकार से रिअप्रोप्रिएशन के माध्यम से वित्तीय व्यवस्था किये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर आवश्यक प्रक्रिया सुनिश्चित की जाये।

(महाप्रबंधक–कम्युनिटी प्रोसेस)

12. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्दों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्दों के एन0क्यू0ए0 में गतिशीलता लाने हेतु एच0एम0आई0एस0 डेटा, एवं 'मानव सम्पदा पोर्टल' के डेटा विश्लेषण कर 1000 क्षमतायुक्त (Potentail) चिकित्सा इकाईयों का चयन कर इन्टर्नल असेसमेंट प्राप्त कर सर्टिफिकेशन हेतु वरीयता सूची तैयार कर चरणवद्ध तरीके से सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण किया जाये।

(अधिशासी निदेशक यू0पी0टी0एस0यू0 / महाप्रबंधक–क्यू0ए0 / पाथ / जपाइगो)

13. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के NQA सर्टिफिकेशन हेतु प्राथमिकता सूची तैयार की जायें तथा उनका वर्चुअल प्लेटफार्म के माध्यम से उक्त वियषक प्रशिक्षण कार्ययोजना एवं प्रशिक्षण कलैण्डर तैयार कर यथाशीध्र कार्यवाही पूर्ण की जाये।

(महाप्रबंधक–क्यू0ए0 / पाथ)

14. हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के NQA सर्टिफिकेशन हेतु प्रत्येक जनपद से चिन्हित 05 इकाईयों में गैप क्लोजर यथाशीघ्र सुनिश्चित किया जायें।

(महाप्रबंधक– कम्युनिटी प्रोसेस / जपाइगो)

15. यू0पी0 के स्वास्थ्य केन्द्र पोर्टल का एक्सेस, विभाग के समस्त अधिकारियों तक उपलब्ध कराये जाने हेतु उन्हें यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड प्रदान किया जाये।

(अधिशासी निदेशक यू0पी0टी0एस0यू0)

16. चिकित्सा इकाईयों में भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 'स्वयं सहायता समूहों' की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु राज्य आजीविका मिशन (UPSRLM) के साथ बैठक कर, रणनीति बनायी जाये एवं यथा आवश्कता जनपदों को दिशा–निर्देश प्रेषित किया जाये।

(महाप्रबंधक–मातृ स्वास्थ्य)

17. जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी एश्योरेंस समिति की बैठक का आयोजन नियमित रूप से किया जाये तथा गहन समीक्षा कर NQA सर्टिफिकेशन हेतु चयनित चिकित्सा इकाईयों में आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही की जाये।

(जिलाधिकारी / मुख्य चिकित्सा अधिकारी)

18. प्रदेश के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधी SRS डेटा पर चर्चा की गयी, अवगत कराया गया कि स्टिल बर्थ रेट बढ़ गयी है, तथा MMR में अपेक्षित गिरावट नही आयी है। उक्त इंडिकेटर्स के सुधार हेतु रणनीति तैयार किया जाये।

(महानिदेशक चि0स्वा0 / महानिदेशक परिवार कल्याण / महाप्रबंधक–मातृ स्वास्थ्य / अधिशासी निदेशक यू0पी0टी0एस0यू0)

19. जो चिकित्सा इकाईयॉ NQAS तथा LaQshya एक्टर्नल असेसमेंट में असफल (Deferred) घोषित हुई है तथा क्लीनिकल इंडिकेटर्स में मानक से कम अंक प्राप्त हुये है, उनके लेबर रूम एवं ओ.टी. में तैनात स्टाफ की हैण्ड– होल्डिगं हेतु हेल्थ पार्टनर के द्वारा प्रदत नर्स मेन्टर्स तैनात है। उक्त स्थिति के दृष्टिगत 'नर्स मेन्टर्स' के कार्यो की गहन समीक्षा की जानी है। नर्स मेन्टर्स को क्लीनिकल प्रेक्टिस के इंडिकेटर्स पर उत्तरदायी बनाया जाये। एफ.आर.यू. चिकित्सा इकाईयों में तैनात ओ.टी टेक्नीशियन मानकानुसार व्यवस्थित रखने हेतु उत्तरदायी बनाया जाये।

(महाप्रबंधक–मातृ स्वास्थ्य / क्यू.ए. / यू.पी.टी.एस.यू. / यूनिसेफ)

20. हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर्स के NQA सर्टिफिकेशन हेतु प्रत्येक जनपद से चिन्हित 05 इकाईयों में गैप क्लोजर यथाशीध्र सुनिश्चित किया जायें।

(महाप्रबंधक– कम्युनिटी प्रोसेस)

21. चिकित्सा इकाईयों में वार्डो, शौचालयों की स्वच्छता सुनिश्चित की जाये। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्दों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्दों को सफाई हेतु आवंटित बजट की पर्याप्तता का विश्लेषण एवं आगणन पुनः किया जाये। आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बजट की मॉग हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया जाये।

(महाप्रबंधक–आयुष / IMEP)

22. रोगी कल्याण समिति में 'कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी' एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त बजट (Cash or kind) को अंकित किया जाये। समिति को आवंटित बजट का 90 प्रतिशत से अधिक व्यय होने की दशा में मानकानुसार उपयोगित किये जाने हेतु अनुश्रवण किया जाये।

(महाप्रबंधक–कम्युनिटी प्रोसेस)

23. औषधियों एवं कन्ज्यूमेबल्स की उपलब्धता के परीक्षण हेतु DVDMS पोर्टल एवं फील्ड विजिट फीडबैक डेटा का तुलनात्मक आकंलन कर फीडबैक साझा किया जाये। हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टरों में विद्युत, वाटर, सप्लाई, ड्रग एण्ड कन्ज्यूमबल्स, टेस्ट किट की उपलब्धता की अद्वतन सूचना संकलित की जायें।

(राज्य प्रतिनिधि जपाइगो)

24. हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर्स पर योग प्रशिक्षण प्रारम्भ किये जाने हेतु रू0 2500.00 मासिक का मानदेय (रू0 250 प्रति सत्र, न्यूनतम 10 सत्र) प्रदान करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर दिशा–निर्देश निर्गत किया जाये। उक्त आयोजित सत्रों के आयोजन का अनुश्रवण एवं साक्ष्य आधरित गतिविधि बनाने हेतु कम्युनिटी हेल्थ आफीसर्स द्वारा फोटो भी साझाा की जायें।

(महाप्रबंधक–कम्युनिटी प्रोसेस)

25. हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर्स के उपकरणों के कैलिब्रेशन हेतु अनुबंधित सेवा प्रदाता एजेन्सी से समन्वयन कर आवश्यक दिशा--निर्देश प्रेषित किया जाये।

(महाप्रबंधक–प्राक्योरमेंट)

26. कम्युनिटी हेल्थ आफीसर्स के परफार्मेन्स बेस्ड इंसेन्टिव (PBI) इंडिकेटर्स में एन0क्यू0ए0एस सर्टिफिकेशन एवं कायाकल्प अवार्ड हेतु अर्हता को सम्मिलित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायें।

(महाप्रबंधक–कम्युनिटी प्रोसेस)

27. मेडिकल रिकार्ड पॉलिसी के सन्दर्भ मे भारत सरकार द्वारा प्रदत्त गाइड–लाइन को आधार मानते हुए प्रदेश की चिकित्सा इकाइयों में मेडिकल रिकार्ड पॉलिसी का कार्यान्वयन किया जा सकता है। पॉलिसी में यदि कस्टमाइजेशन की आवश्यकता हो तो पृथक से नवीन दिशा– निर्देश प्रेषित किया जायें।

(महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य)

28. चिकित्सा संवर्ग एवं पैरामेडिकल संवर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का जॉब डिस्क्रिप्शन पुनरीक्षित करते हुये दिशा-- निर्देश जारी किये जाये। यू.पी.टी.एस.यू. द्वारा पैरामेडिकल स्टाफ की TOR / हैण्ड बुक विकसित की जायें।

(महानिदेशक–चिकित्सा स्वास्थ्य / यू.पी.टी.एस.यू)

29. पैरामेडिकल स्टाफ का कौशल क्षमता आंकलन (Compenteny Assessment) हेतु टूल्स एवं दिशा–निर्देश तैयार किया जायें। पी.एम.एस. संवर्ग के चिकित्सको की क्षमतावद्धि हेतु नियमित रूप से सत्रों का आयोजन किया जायें।

(महानिदेशक प्रशिक्षण / यू.पी.टी.एस.यू)

30. 'नेशनल फार्मुलरी ऑफ इंडिया' 2021 की दो प्रति, राज्य स्तर से कय कर समस्त चिकित्सा इकाईयों को उपलब्ध कराया जाये। उक्तानुसार विकेता को कंसाइनमेंट लिस्ट उपलब्ध कराया जायें। विकेता से सर्म्पक कर के कीमत कम कराये (Negotiation) जाने तथा सेवा–प्रदाताओ के प्रशिक्षण में आवश्यक सहयोग प्राप्त किये जाने हेतु समस्त प्रयास किये जाये।

(महाप्रबधक–प्रशिक्षण / महाप्रबंधक–क्यू0ए0)

31. पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट अधिनियम के अन्तर्गत चिकित्सा इकाईयों को 'ऑथराइजेशन' एवं No-objection Certificate प्राप्त करने हेतु गाइडलाइन साझा किया जाना अपेक्षित है।

(महाप्रबंधक– आयुष / IMEP)

32. चिकित्सा इकाईयो में इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (EPT) स्थापित किये जाने हेतु आवंटित बजट से कार्यवाही यथाशीध्र किया जायें। अन्य प्रदेशों में EPT की स्थापना हेतु किस प्रकार से वित्तीय व्यवस्था एवं प्रकिया अपनायी जा रही है, के संबंध में अध्ययन कर समेकित कार्ययोजना एवं प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायें।

(महाप्रबंधक– आयुष / IMEP)

33. प्रदेश के समस्त 75 जनपदों हेतु बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट निस्तारण हेतु टेण्डर प्रकिया शीघ्र पूर्ण कराकर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया

(महाप्रबंधक–आई.एम.ई.पी.)

34. 'लक्ष्य' (LaQshya)/मुस्कान (MusQan) कार्यक्रम को मेडिकल कालेजों में लागू करने हेतू निर्देशित किया गया। **प्रतिनिधि महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा** द्वारा अवगत कराया गया कि मेडिकल कालेजों को इस संबंध में निर्देश प्रेषित कर दिये गये हैं। मेडिकल कालेजों के इन्टर्नल असेसमेंट स्कोर उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी, जिससे स्टेट असेसमेंट एवं सर्टिफिकेशन हेतु क्वालिटी एश्योरेंस अनुभाग द्वारा अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

(महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा उ0प्र0 , राज्य प्रतिनिधि–पाथ)

35. चिकित्सा इकाईयों में एंटी बायोटिक पॉलिसी, इंफेक्शन कंट्रोल पॉलिसी को मानकानुसार लागू किये जाने हेतु AMR (Antimicrobial Resistance Action Plan) पर कार्य किया जाना आवश्यक है उक्त 'एक्शन प्लान' तैयार करने में हेल्थ पार्टनर्स एवं मेडिकल कालेजों के विशेषज्ञों का तकनीकी सहयोग प्राप्त किया जाये।

(महाप्रबंधक–क्यू.ए. / पाथ)

36. प्रमुख सचिव, की अध्यक्षता में यथाशीघ्र समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की क्वालिटी एश्योरेंस विषयक समीक्षा बैठक का आयोजन किया जायें।

(महाप्रबंधक–क्यू.ए. / पाथ)

37 .जिन जनपद स्तरीय चिकित्सालयों का मेडिकल कालेजो में उच्चीकरण हो चुका है। उन चिकित्सा इकाईयों मे तैनात चिकित्सालय प्रबंधक को अन्य जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में रिक्त पद पर पुर्ननियुक्ति किये जाने के संबंध में विशेष दिशा निर्देश निर्गत करते हुये चिकित्सालय प्रबधक की पुर्ननियुक्ति किया जाये।

(महाप्रबंधक–मानव संसाधन)

उपरोक्त वर्णित कार्यवृत्त बैठक के प्रतिभागियों को प्रेषित किया जाना है।

कृपया सहमति की दशा में पत्रावली प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को कार्यवृत्त अनुमोदनार्थ प्रेषित करना चाहें।

एम०डी० कैम्प मे आज प्राप्त दिनांक 14/12/2022

12/12/2022
13/12/2022
DGM-NHM

13.12.2022
(डा० अर्चना वर्मा)
महाप्रबंधक–क्यू०ए०
एन०एच०एम०यू०–एन०एच०एम०

14/12/22
(Dr. HEERA LAL)
Addl. Mission Director
National Health Mission

बिन्दु संख्या 14 की पुनरावृत्ति त्रुटिवश बिन्दु संख्या 20 पर हो गयी है, जिसे कार्यवृत्त में सुधार किया गया है।

16/12/2022
DGM-NHM

एम०डी० कैम्प मे आज प्राप्त दिनांक 16/12/2022

अवलोकनार्थ
PAL / Sec

Aparna U.
16/12/22
अपर्णा यू०
मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०

19/12/2022
(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
प्रमुख सचिव
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

MD(NHM)

GM(OA)

19/12/2022
अपर्णा यू०
मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०